रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2003/चैत्र 26, 1925
No. 101] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2003/CHAITRA 26, 1925

**कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय**

**( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2003

सं. 13018/7/2001-अ.भा.से.-(I).— केन्द्र सरकार भारत के असाधारण राजपत्र भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग) भारत सरकार की दिनांक 15 दिसम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या - 13018/7/2001 -अ.भा.से.-(I) के पृष्ठ संख्या 126-243 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में नियम संख्या - 16 और 17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित करती है :-

"16 (1) साक्षात्कार के बाद आयोग उम्मीदवारों के नाम, मुख्य परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर बने योग्यता क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित करेगा । उसके बाद आयोग, अनारक्षित रिक्तियों पर उम्मीदवारों की संस्तुति करने के प्रयोजन से, मुख्य परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों की संख्या को देखते हुए अर्हक अंक (इसके बाद से सामान्य अर्हक मानदंड के रूप में उल्लिखित) निर्धारित करेगा । आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की संस्तुति करने के लिए आयोग, मुख्य परीक्षा के आधार पर इनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में सामान्य अर्हक मानदण्डों में ढील दे सकता है ।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार, जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता अथवा चयन मानदण्ड में रियायत अथवा ढील का उपयोग नहीं किया है और जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए संस्तुति के लिए उपयुक्त पाए गए, उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए संस्तुत नहीं किया जाएगा ।

(2) सेवा का आबंटन करते समय अनारक्षित रिक्तियों पर संस्तुत किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित किया जा सकता है, यदि ऐसी प्रक्रिया से उन्हें अपने वरीयता क्रम में बेहतर विकल्प वाली सेवा मिल जाती है ।

(3) आयोग, अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की किसी कमी को ध्यान में रखते हुए अर्हक मानकों को और कम कर सकता है और इस नियम के प्रावधानों से उद्‌भूत आरक्षित रिक्तियों पर किसी उम्मीदवार के अधिशेष हो जाने पर आयोग, उप नियम (4) और (5) में निर्धारित ढंग से संस्तुति कर सकता है ।

(4) उम्मीदवारों की संस्तुति करते समय आयोग,सबसे पहले सभी श्रेणियों में रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखेगा । संस्तुत उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की संख्या घटा दी जाएगी, जो उप नियम (1) के परन्तुक के अनुसार पात्रता अथवा चयन मानदंडों में किसी रियायत अथवा ढील का उपयोग किए बिना ही निर्धारित सामान्य अर्हक मानदण्डों से अधिक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं । आयोग, संस्तुत उम्मीदवारों की इस सूची के साथ-साथ उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची भी घोषित करेगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत योग्यता क्रम में आखिरी संस्तुत उम्मीदवार से नीचे के सामान्य और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार शामिल होंगे । इन प्रत्येक श्रेणियों में उम्मीदवारों की संख्या, आरक्षित श्रेणी के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उप-नियम (1) के परन्तुक के अनुसार पात्रता अथवा चयन मानदण्डों में किसी प्रकार की रियायत या ढील का लाभ प्राप्त किए बिना प्रथम सूची में शामिल किया गया था । आरक्षित सूची में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में से उम्मीदवारों की संख्या, प्रत्येक श्रेणी में प्रारंभिक स्तर पर कटौती किए गए संबंधित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी ।

(5) उप नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार संस्तुत उम्मीदवार, सरकार द्वारा सेवाओं में आबंटित किए जाएंगे और जहाँ कतिपय पद फिर भी रिक्त रह जाते हैं वहाँ सरकार आयोग को इस आशय की माँग भेज सकती है कि वह आरक्षित सूची में से प्रत्येक श्रेणी में रिक्त रह गई रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से माँग की गई संख्या के बराबर उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से संस्तुति करें ।

17. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में आयोग द्वारा नियम 15 में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंकों में अपने विवेकानुसार ढील दी जा सकती है ।

बशर्ते कि, जहाँ शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार, सामान्य अथवा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में अपने ही योग्यता क्रम में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है तो आयोग द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में उम्मीदवार, ढील दिए गए मानकों के आधार पर संस्तुत नहीं किए जाएंगे । "

टी. जैकब, निदेशक (एआईएस)

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**
**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2003

**No. 13018/7/2001-AIS-(I).**— In the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number 13018/7/2001-AIS(I), dated the 15th December,2001, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extraordinary, Dated the 15th December,2001, at pages 126-243, the Central Government hereby makes the following further amendments, namely:-

In the said notification, for rules 16 and 17, the following rules shall be substituted, namely:-

"16.(1) After interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each

candidate in the Main Examination. Thereafter, the Commission shall, for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix a qualifying mark (hereinafter referred to as general qualifying standard) with reference to the number of unreserved vacancies to be filled up on the basis of the Main Examination. For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes against reserved vacancies, the Commission may relax the general qualifying standard with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the Main Examination:

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(2) While making service allocation, the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference.

(3) The Commission may further lower the qualifying standards to take care of any shortfall of candidates for appointment against unreserved vacancies and any surplus of candidates against reserved vacancies arising out of the provisions of this rule, the Commission may make the recommendations in the manner prescribed in sub-rules (4) and (5).

(4)While recommending the candidates, the Commission shall, in the first instance, take into account the total number of vacancies in all categories. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to

the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and Other Backward Classes who acquire the merit above the fixed general qualifying standard without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection criteria in terms of the proviso to sub-rule (1). Along with this list of recommended candidates, the Commission shall also declare a consolidated reserve list of candidates which will include candidates from general and reserved categories ranking in order of merit below the last recommended candidate under each category. The number of candidates in each of these categories will be equal to the number of reserved category candidates who were included in the first list without availing of any relaxation or concession in eligibility or selection criteria as per proviso to sub-rule (1). Amongst the reserved categories, the number of candidates from each of the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe and Other Backward Class categories in the reserve list will be equal to the respective number of candidates reduced initially in each category.

(5) The candidates recommended in terms of the provisions of sub-rule (4), shall be allocated by the Government to the services and where certain vacancies still remain to be filled up, the Government may forward a requisition to the Commission requiring it to recommend, in order of merit, from the reserve list, the same number of candidates as requisitioned for the purpose of filling up the unfilled vacancies in each category.

17. The minimum qualifying marks as specified under rule 15 may be relaxable at the discretion of the Commission in favour of physically handicapped candidates in order to fill up the vacancies reserved for them:

Provided that where a physically handicapped candidate obtains the minimum qualifying marks in his own merit in the requisite number for General, or the Scheduled Caste, or the Scheduled Tribe or Other Backward Class category candidates, then, the extra physically handicapped candidates, i.e. more than the number of vacancies reserved for them shall not be recommended by the Commission on the relaxed standards."

T. JACOB, Director (AIS)

1117 GI/03—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.